(20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 159/2016

उनवान

रतनाराम (मृतक) बनाम भागीरथ (मृतक) वगै0

1. मृतक रतनाराम पुत्र स्व0 नारायणराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू। (दौराने दावा मृत्यु)

1/1. बसन्ती देवी पत्नी स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/3. जयप्रकाश पुत्र स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/4. विजयप्रकाश पुत्र स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/5. संतोष पुत्री स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/6. तारामीण पुत्री स्व0 रतनाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

–वादीगण

बनाम

1. मृतक भागीरथ पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू। (दौराने दावा मृत्यु)

1/1. सन्तोष पत्नी स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/2. कर्मवीर पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/3. विजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/4. सीमा पुत्री स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

1/5. गुटेश पुत्री स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

(21)

1/6. ललीता पुत्री स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

2. श्रीचन्द पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

3. राजेन्द्र पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सिरीयासरकला तहसील व जिला झुन्झुनू।

4. तहसीलदार, भ0अ0 झुन्झुनू।

5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नुआ जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :

1. श्री राजेश पूनिया :—वादीगण की ओर से।

2. श्री विजय सिंह चौधरी :— प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

दिनांक :

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन गत खसरा नम्बर 98 तादादी 8 बीघा 7 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 424 रकबा 2.11 है. राजस्व ग्राम सिरीयासरकला में स्थित है। उक्त जमीन राजस्व रिकार्ड में वादी रतनाराम के नाम दर्ज है। जमीन खसरा नम्बर 436 रकबा 1.38 है0, 437 रकबा 1.28 है0, 438 रकबा 0.06 है0, 438/963 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.80 है. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमीन की किस्म बारानी प्रथम है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में दर्ज 1/3 हक हिस्सा के मुताबिक श्रीचन्द ने प्रतिवादी संख्या 5 के यहां से कृषि ऋण ले रहा है। प्रतिवादी श्रीचन्द ने जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में वर्णित हक हिस्से पर ऋण लिया तब यह जानकारी नहीं थी कि उसका कब्जा किस जमीन पर है। दिनांक 20.07.2016 को वादी रतनाराम ने प्रतिवादी संख्या 4 से जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र की खातेदारी कब्जा काश्त के मुताबिक अपने नाम दर्ज करने एवं जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीसंख्या 4 ने वादी के निवेदन को स्पष्ट इंकार कर दिया । वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि (क) जमीन हाल खसरा नम्बर 436 रकबा 1.38 है0, 437 रकबा 1.28 है0, 438 रकबा 0.06 है0, 438/963 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.80 है. का वादी रतनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। (ख) जमीन हाल खसरा नम्बर 424 रकबा 2.11 है. का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 क्रमशः भागीरथ, श्रीचन्द, एवं राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। (3) वादी वैकल्पिक रूप से माननीय न्यायालय से यह निवेदन करता है कि अगर वादी को दावा की मद संख्या क व ख के मुताबिक किसी कारणवश अनुतोष नहीं देता है तो वादी वैकल्पिक रूप से निवेदन है कि जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र का

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

122

विनिमय किया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र वादी की खातेदारी दर्ज की जावे तथा वर्णित धारा वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में संयुक्त रूप दर्ज की जावे तथा जमीन वर्णित धारा 1 की बजाय जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र का जितना रकबा अधिक बनता है उस बढे हुए रकबे का वर्तमान डी एल सी रेट के मुताबिक रूपये वादी जमा करवाने के लिए तैयार है बाबत निवेदन किया है।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत सम्मन तलवाने पर मय दावा प्रति प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। दिनांक 12.11.2016 को वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर वाद पत्र की धारा 12 क व ख क अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत राजीनामा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि एक दूसरे की भूमि पर दूसरे के कब्जे का या पैतृक भूमि होने का किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पक्षकारानों के खाते अलग अलग हैं जिससे वाद पत्र में विनिमय की कार्यवाही किया जाना उचित है। वाद पत्र की धारा 12 क व ख के अुनसार घोषणा की जानी उचित प्रतीत नहीं होती है अतः वाद, वाद पत्र की धारा 12 ग के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वादी वादीगण वाद पत्र की धारा 12 "ग" के अनुसार स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू